

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 151]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 जून 2026—ज्येष्ठ 20, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 जून 2026

क्र. 5705-87-इक्कीस-अ (प्रा.)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक १ सन् २०२६

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, २०२६

[“मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक १० जून, २०२६ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९६३ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें,

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १ सन् १९६४
का अस्थाई रूप से
संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९६३ (क्रमांक १ सन् १९६४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा ७५ का
संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ७५ में, उप-धारा (१) में, परन्तु के अंत में, पूर्ण विराम के स्थान पर कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतु जोड़ा जाए, अर्थात्:-

“परंतु यह और कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी ऐसी लिखत को, जिस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८६६ के अधीन अधिरोपित शुल्क के अतिरिक्त इस धारा के अधीन अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहणीय है, ऐसा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क उद्गृहीत करने से छूट प्रदान कर सकेगी.”.

भोपाल :

तारीख १० जून, सन् २०२६

मंगुभाई छ. पटेल,
राज्यपाल.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2026

क्र. 5705-87-इक्कीस-अ (प्रा.)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (क्रमांक 1 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

NO. 1 OF 2026

THE MADHYA PRADESH PANCHAYAT RAJ AVAM GRAM SWARAJ
(SANSHODHAN) ADHYADESH, 2026.[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 10th June, 2026.]

Promulgated by the Governor in the seventy-seventh year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :-

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj (Sanshodhan) Adhyadesh, 2026. | Short title. |
| 2. | During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendment specified in section 3. | M a d h y a
P r a d e s h A c t N o.
1 o f 1 9 9 4 t o b e
t e m p o r a r i l y
a m e n d e d. |
| 3. | In section 75 of the principal Act, in sub-section (1), at the end of the proviso, for full stop colon shall substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:- | Amendment of
Section 75. |

"Provided further that the State Government may, by notification, exempt any instrument, upon which additional stamp duty is leviable under this section in addition to the duty imposed under the Indian Stamp Act, 1899, from the levy of such additional stamp duty."

Bhopal,

Dated the, 10th June 2026.MANGUBHAI C. PATEL,
GOVERNOR.